From

The District Magistrate,
Una, District Una (H.P.).

To

The Consultant (Judicial),
Hon'ble National Green Tribunal,
Faridkot House, Copernicus Marg,
Near India Gate, New Delhi,
Delhi-110001.

No. 236 /ADC/LFA
Dated 12.06.2023

Sub: - Original Application No. 372/2022 titled as Avinash Vidhrohi versus State of H.P. pending before the Hon'ble NGT.

Sir,

District Magistrate,
Una, District Una (H.P.)

It is respectfully submitted that the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi vide order dated 16.05.2023 passed in aforesaid Original Application has directed the respondents No.3 and 5 to file their reports regarding present status of each of the mango trees illegally pruned and also regarding assessment, in monetary terms, of the damage caused by the illegal pruning of mango trees. It is further submitted that the District Magistrate Una i.e. undersigned is arrayed as respondent No.5 in aforesaid Original Application. Therefore, in compliance of aforesaid order dated 16.05.2023 of the Hon'ble National Green Tribunal, the reports were sought from the concerned departments vide this office letter No.150-153/ADC/LFA dated 24.05.2023. In response of this office aforesaid letter dated 24.05.2023, the Divisional Forest Officer Una Forest Division Una (H.P.) vide his office letter No. RK/NGT/2474 dated 06.06.2023

(copy annexed as **Annexure –A**) has reported that the spot inspection of each tree has been conducted in association with the field staff of Amb Range on 24.05.2023. During the inspection, it has been noticed that in some of the trees, new shoots are coming out from the lopped branches, whereas it is absent in most of the lopped trees. There is no visible affect on the growth & health with reference to drying of trees of all the illicitly lopped trees. Only one Sirus tree bearing marking number 55 in Jadla beat has been found to be dried up after illicit lopping. The damages have been assessed for the lopping of the branches. He has also reported that the market rates of green standing trees fixed for the year 2022-23 by Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF) H.P. Shimla vide letter No. Ft. 21-700/82 (S) Vol. VIII dated 20.10.2022 has been taken into account while assessing the damages. The value mention in the above referred letter is for the timber whereas to take a strict and stern action against the defaulters and to send strong message in the public the rates has been used for the lopping of branches too. He has also reported the assessment of damages which is mentioned as under: -

District Magistrate,
Una, District Una (HP)

Name of Range	No. of trees	No. of branches	No. of logs	Volume in M3	Market rates of green standing trees for the year 2022-23 (in Amount in (Rs.)/m3	Assessed Value	GST 18%	Total Amount
Amb	172	303	1014	22.321	12246/-	273343/-	49202/-	322545
Bharwain	29	84	0	9.762	12246/-	119545/-	21519/-	141064
Grand Total	**201**	**387**	**1014**	**32.083**				463609

It is also submitted that as per the latest report received from the SHO, Police Station Gagret District Una through the Superintendent of Police Una vide his office letter No. 2023-22918 dated 06.06.2023 (copy annexed as **Annexure –B**), the criminal case FIR No. 38/2022 dated 29.03.2022 registered at Police Station Gagret is now listed before the court of learned JMIC-III, Amb on 21.08.2023 for proper order.

The reply/response is submitted for favour of consideration of the Hon'ble National Green Tribunal and the same may kindly be accepted.

Yours faithfully,

Mahendra Pal Gurjar, IAS
District Magistrate,
Una, District Una (H.P.).
Ph. No. 01975-225800.

Encls. As above.

No. RK/NGT/ 2474
HP. Forest Department
dt 6/6/2023

From:

Divisional Forest Officer
Una, Forest Division Una (HP)

To:

The Deputy Commissioner
Una, District Una, HP.

Subject: - **O.A. No. 372 of 2022 titled as Avinash Vidhrohi versus State of H.P.**

Sir,

Please refer to your office letter No. 150-153/ADC/LFA dated 25.05.2023 & in continuation to this office letter No. 1692 dated 11/05/2023; on the above cited subject.

2. In this connection, it is submitted that the spot inspection of each tree has been conducted in association with the field staff of Amb Range on 24.05.2023. During the inspection, it has been noticed that in some of the trees, new shoots are coming out from the lopped branches, whereas it is absent in most of the lopped trees. There is no visible affect on the growth & health with reference to drying of trees of all the illicitly lopped trees. Only one Sirus tree bearing marking number 55 in Jadla beat has been found to be dried up after illicit lopping. The damages have been assessed for the lopping of the branches. It is pertinent to mention that the market rates of green standing trees fixed for the year 2022-23 by Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF) HP Shimla vide letter No. Ft. 21-700/82(S) Vol. VIII dated 20/10/2022 has been taken into account while assessing the damages. It is to mention that the value mention in the above referred letter is for the timber whereas to take a strict and stern action against the defaulters and to send a strong message in the public the rates has been used for the lopping of branches too. The assessment of damages is given as under:-

Name of Range	No. of trees	No. of branches	No. of logs	Volume in M3	Market rates of green standing trees for the year 2022-23 (In Amount in (Rs.)/m3	Assessed Value	GST 18%	Total Amount
Amb	172	303	1014	22.321	12246/-	273343/-	49202/-	322545
Bharwain	29	84	0	9..762	12246/-	119545/-	21519/-	141064
G.Total	201	387	1014	32.083				463609

3. It is further submitted that the SOP for pruning of trees has been drafted and the same is being sent to higher ups through CF Hamirpur for approval please. This is for favour of information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Divisional Forest Officer
Una, Forest Division Una (HP)

ADC/LFA
6/6/2023
Supdt G/L

20393677
7-6-23

OFFICE OF
THE SUPERINTENDENT OF POLICE,
DISTT. UNA HIMACHAL PRADESH
E-mail: sp-una-hp@nic.in
Contact No:- 01975-226048

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH · ONE FAMILY · ONE FUTURE

No. :-2023- 22918 Dated:06/06/2023

To

The District Magistrate
Una, District Una (H.P.)

Subject:- **O.A. No. 372 of 2022- titled as Avinash Vidhrohi Vs State of HP.**

Sir,

Kindly refer to your office letter No. 150-153/ADC/LFA dated 24.05.2023, on the subject mentioned above.

In this regard, it is submitted that the latest Status Report in Case FIR No. 38/2022 dated 29.03.2022 registered at Police Station Gagret submitted by SHO Police Station Gagret is send herewith for your kind perusal and further necessary action, please.

Encls: A/A

Sd/-
Superintendent of police,
Una, District Una (H.P)

ADC/LFA
Supdt. -II 7/6/23
D 393 771
7-6-23

पुलिस थाना गगरेट

जिला ऊना (हि0प्र0)।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक महोदय ,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

क्रमांक 1181/5A दिनांकः- 06-06-2023

विषय:- O.A No. 372 of 2022 Titled as Avinash Vidhrohi versus State of H.P.

CASE FIR NO. 38/2022 DT 29-03-2022 U/S 379 IPC & 32, 33 IF ACT PS GAGRET, DISTRICT UNA (HP).

श्रीमान जी

संक्षिप्त हालात मुकदमा हज़ा इस प्रकार से है कि मुताविक रपट न0 22 रोजनामचा दिनांक 28/03/2022 के श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री सीता राम निवासी नौशहरा तह0 देहरा जिला कांगडा हि0 प्र0 हाल वनखंड अधिकारी गगरेट ने हाजिर थाना आकर एक अदद शिकायत पत्र पेश पुलिस किया है। जिसका मजवून जैल है, "प्रेषकः- वनखंड अधिकारी गगरेट वन खंड अधिकारी दौलतपुर। प्रेषितः- पुलिस थाना प्रभारी गगरेट। विषयः- सडक के किनारे खडे पेडो की हुई अवैध क्षति की रिपोर्ट दर्ज करने वारे। महोदय, रिपोर्ट की जाती है कि टीका गुगलैहड से टीका अम्वोटा जोकि वन परिक्षेत्र के अधीन आता है। तथा टीका संघनेई से दियोली जो वन परिक्षेत्र भरवाई के अधीन आता है। गुगलैहड से दौलतपुर की सड़क के बीच आते टीको के किनारे खडे बृक्षों 201 न0 भिन्न-भिन्न प्रजाती के लगभग 387 टहने वन विभाग की अनुमति के विना PWD विभाग गग्रेट द्वारा अवैध रुप से काट लिये गये है जिससे वृक्षों व सरकार को काफी नुकसान हुआ है। जव यह अवैध कटान कर रहे थे तो श्री सुभाष चन्द वनखंड अधिकारी गगरेट द्वारा PWD के J.E से दूरभाष पर बात हुई तो उन्होने बताया कि हमें उपर से आदेश है कि यह टहने जोकि खतरे वाले है काट दिये जायें। ये टहने ठेकेदार रोहित जसवाल S/O नरेन्द्र जसवाल गांव व डाकघर डंगोह तह0 घनारी जिला ऊना हि0 प्र0 द्वारा काटे जा रहे थे। और वन रक्षक संघनेई वीट श्री गुरदेव सिंह ने भी वताया कि मेरी वात उपरोक्त ठेकेदार से दूरभाष

पर बात हुई थी। तो उसने बताया कि PWD के SDO के कहने पर ही उपरोक्त पेड़ों के टहने काटे है। अतः लकडी को वन विभाग को अपने कब्जे में ले लिया है। वृक्षो व सरकार के वित्तिय नुकसान को देखते हुये उपरोक्त दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। जो मजवून शिकायत पत्र, तस्दीक हालात रपट न0 22 रोजनामचा दिनांक 28/03/2022 से मामला जुर्म जेर धारा 379 IPC, 32, 33 IF Act के बकूह मे आना पाया जाने पर मुकदमा पंजीकृत थाना किया गया | मुकदमा हज़ा की तफ्तीश HC सुरेश कुमार न० 37 के इंटर कौर्स जाने के बाद HC राजकुमार न० 40 द्वारा अम्ल में लाई जा रही है |

दौराने तफ्तीश HC सुरेश कुमार न० 37 ने दिनाक 30-03-2022 को मौका का मुलाहजा मौका करके मुकाम गुगलैहड़ बीट से गगरेट बीट तक व संघनेई बीट का नक्शा मौका नजरी तैयार किया | दिनाक 31-03-2022 को मुकाम वन निरिक्षण कुटीर भद्रकाली में मुस्स्मी पूर्ण राम पुत्र बसंत राम निवासी भैरा तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा हाल B.O दौलतपुर ब्लाक ने मुकदमा हज़ा में संघनेई से दिओली तक सडक के किनारे खड़े 29 पेड़ो के कटे हुए 84 टहने लकड़ी आम जिनके कुल 346 Log लकड़ी तथा 8 वर्क फोटोग्राफ छायाप्रति व सूचि माप मपाई 5 वर्क को पेश पुलिस किया तथा बतलाया कि यह वही टहने है जो बीट संघनेई में संघनेई से दिओली तक सडक किनारे खड़े पेड़ो (29) वृक्ष को वन विभाग की अनुमति के बिना PWD विभाग गगरेट द्वारा ठेकेदार के माध्यम से अवैध रूप में काटा गया है जो उपरोक्त 346 Log लकड़ी को मार्क 1B/22 TO 346B/22 तक मार्क किया गया है जिन्हें बजरिया फर्द पेशकर्दा/बरामदगी कब्जा पुलिस में लेकर मौका पर उसी फर्द पर बजरिया सुपुर्दारी 84 टहने लकड़ी कुल 346 मोंछे (Log) को पूर्ण राम उपरोक्त के हवाले किया गया तथा नक्शा मौका जाय बरामदगी मुकाम भद्रकाली तैयार किया गया |

दिनाक 30-03-2022 को मुकाम वन थाना टटेहडा में वादी मुकदमा सुभाष चंद उपरोक्त ने 303 टहने लकड़ी बिभिन्न प्रजाति जिनके कुल 1014 Log 46 वर्क फोटोग्राफ मौका छायाप्रति 46 वर्क व माप मपाई 20 वर्क पेश पुलिस करी तथा बतलाया कि यह वही टहने है जो बीट जाडला ,मवा सिंधियां ,बडोह ,व गगरेट से गुगलैहड़ तक सडक किनारे खड़े बिभिन्न प्रजाति के 172 वृक्षों को वन विभाग की अनुमति के बिना PWD विभाग गगरेट द्वारा ठेकेदार के माध्यम से काटा गया है जो 1014 Log लकड़ी को मार्क 1/22 TO 1014/22 मार्क किया गया है जो उपरोक्त सभी को बजरिया फर्द पेशकर्दा/बरामदगी कब्जा पुलिस में लेकर मौका पर उसी फर्द पर बजरिया सुपुर्दारी 303 टहने लकड़ी बिभिन्न प्रजाति कुल 1014 Log लकड़ी को सुभाष चंद उपरोक्त के हवाले

आरा,एक अदद आरा लोहा ,एक अदद कुलहाड़ी व एक अदद दरात को पेश पुलिस किया जिन्हें बजरिया फर्द कब्जा पुलिस में लिया गया|

दिनाक 10-04-2022 को आरोपी रोहित जसवाल उपरोक्त से माननीय अदालत के आदेशनुसार दरयापत अम्ल में लाइ जाकर बजुआत गिरफ्तारी जुर्म जेर धारा 379 IPC, 32, 33 IF Act गुजरने पर वर जमानत वर मुचलका तदादी 50,000/50,000/- रूपये पर पाबंद करके रिहा किया गया तथा आरोपी का सर्टिफिकेट शिनाख्त पुर किया गया | दिनाक 11-05-2022 को माननीय अदालत ने आरोपी रोहित जसवाल उपरोक्त की जमानत याचिका मंजूर फरमाई|

दिनाक 10-04-2022 को HPPWD विभाग सहायक अभियंता उपमंडल गगरेट व सहायक अभियंता ,अधिशाषी अभियंता उपमंडल भरवाई से उपरोक्त कटे हुए पेड़ो को काटने वारा मंजूरी व टेंडर निकालने की जानकारी उपलब्ध करवाने वारा पत्राचार किया गया जिन्होंने उपरोक्त कटे पेड़ो को काटने वारा मंजूरी व टेंडर ठेकेदार रोहित जसवाल उपरोक्त को देने वारा लिखित तौर पर मना किया है तथा बतलाया की HPPWD विभाग की कार्यसूची (HPPWD Schedule of Rates) में ऐसा कोई कार्य सम्मिलित न है जिसके अनुसार वृक्षों की शाखाओं को काटा जा सकता है तथा उपरोक्त सूचि के अनुसार विभाग उपरोक्त किसी कार्य को नही करवाता हैं|

दिनाक 17-07-2022 को राजस्व विभाग ऊना से गुगलैहड़ से दिओली तक सडक के किनारे काटे गये पेड़ो के अक्स मुसाबी हासिल करके तहसीलदार साहब घनारी व नायब तहसीलदार साहब कलोह को निशानदेही करके रिपोर्ट देने वारा पत्राचार किया गया था जिस पर दिनांक 17-8-22 को तहसील घनारी से, संघनेई से दियोली तक काटे हुये वृक्षों की निशान देही रिपोर्ट मौसूल थाना हुई मुताविक रिपोर्ट राजस्व विभाग वृक्ष 1 ता 6 , 10 ता 14, 15 ता 18 , 19 ता 23,24 , 25 ता 29 मलकियत सरकार हि0 प्र0 कब्जा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग पाये गये व वृक्ष न0 7 मलकियत कुमारी शिखा आदि व वृक्ष न0 8 व 9 मलकियत नरेश कुमार आदि पाये गये है।

दिंनाक 03-09-2022 को राजस्व विभाग से मुकाम गुगलैहड़ से अम्बोटा तक सडक के किनारे काटे गये पेड़ो की निशान देही रिपोर्ट मौसूल थाना हुई है। जो मुताविक रिपोर्ट मुकाम मवां सिंधियां निचली में काटे गये वृक्षों में वृक्ष न0 48,51, 60, 61 की भूमि गैर मुमकिन सड़क मलकीयत सरकार हिमाचल प्रदेश कब्जा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग व वृक्ष न0 49, 50 , 52 , 53 , 54, 55 , 56 , 57 , 58, 59 62, 63, 65,66 की भूमि निजी मलकीयती भूमि गैर मुमकिन सड़क कब्जा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग,

किया गया तथा नक्शा मौका जाय बरामदगी मुकाम टटेहडा तैयार किया गया | गवाहों के ब्यान उनके कहेनुसार जेर धारा 161 Cr.P.C कलमबंद किये गये |

दौराने तपतीश दिनांक 31-03-2022 को वन खंड अधिकारी वन खंड गगरेट द्वारा बीट जाडला,मवा सिंधिया ,बडोह ,तथा गगरेट से मुकदमा हज़ा में 172 पेड़ो के कटे हुए 303 टहनो के बरामद 1014 मोछो की अनुमानित कीमत हासिल करी गई जो मुब्लिग़ 3,22,545/- पाई गई है तथा वन खंड अधिकारी दौलतपुर से मुकदमा हज़ा में बीट संघनेई से 29 पेड़ो के कटे हुए 84 टहनो के बरामद 346 मोछे आम की अनुमानित कीमत हासिल करी गई जो मुब्लिग़ 1,21,697/- पाई गई है |

दिनाक 09-04-2022 को आरोपी रोहित जसवाल उपरोक्त ने हाजिर थाना आकर माननीय अदालत अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायालय-I ऊना द्वारा जारी अग्रिम जमानत याचिका के आदेश पेश पुलिस किये जिसे शामिल तपतीश करके दरयापत अम्ल में लाई गई जिसने दौराने दरयाफ्त बतलाया कि GOVT Contractor है व पिछले 11/12 साल से PWD विभाग के लिए कार्य कर रहा है माह फरवरी में अधिशाषी अभियंता PWD विभाग ने इससे मौखिक तौर पर बात करी थी कि गगरेट परिक्षेत्र में रोड किनारे लगे पेड़ो की टहनियों जोकि रोड की तरफ इतनी झुकी हुई है के कारण काफी सडक हादसे हो रहे है यदि वन विभाग इनकी छंगाई कर दे तो भविष्य में सडक हादसों से बचा जा सकता है यह बात इसके दिमाग में घर कर गई और इसने बिना किसी टेंडर/अनुमति के जनहित में अपनी लेवर कि इमदाद से गाँव गुगलैहड़ से दिओली तक सडक के किनारे खड़े पेड़ो के टहने जिनका झुकाव सडक कि तरफ था को अपनी मर्जी से काट दिया तथा कटे हुए टहनो को वही सडक के किनारे छोड़ दिया इस कटान के दौरान इसने PWD विभाग व वन विभाग से कोई भी अनुमति न ली थी | जिस पर आरोपी रोहित जसवाल द्वारा पेड़ काटने के लिए लगाई गई लेवर के ब्यान उनके कहेनुसार जेर धारा 161 Cr.P.C कलमबंद किये गये मुताबिक ब्यान लेवर के पाया गया कि दिनाक 03-03-2022 को ठेकेदार रोहित जसवाल ने बतलाया कि इसे गुगलैहड़ से चलेट तक सडक के किनारे खड़े पेड़ो कि छंगाई का ठेका मिला है तथा रोहित जसवाल के कहने पर गुगलैहड़ से दिओली तक सडक के किनारे खड़े पेड़ो की छंगाई का काम किया तथा उक्त पेड़ो की लकड़ो को काटकर वही सडक के किनारे साइड में रख दिया इन्हें न पता था कि ठेकेदार रोहित जसवाल उपरोक्त के पास उक्त कार्य का कोई टेंडर/अनुमति न है |

दिनाक 10-04-2022 को आरोपी रोहित जसवाल उपरोक्त ने हाजिर थाना आकर मुकदमा हजा मे पेड़ो को काटने के लिए प्रयोग किये औजार एक अदद पेट्रोल

मुकाम पिपलू में वृक्ष न0 1 से 15 तक, मुकाम पंडेडा में वृक्ष न0 16 से 41 तक, मुकाम ओयल में वृक्ष न0 1 से 20 तक, मुकाम शिववाडी में वृक्ष न0 08 से 13 तक, मुकाम डवाली अम्बोटा जिन्दवड में वृक्ष न0 14-18 तक, मुकाम वडोह में वृक्ष न0 21 से 29, मुकाम गगरेट देवनगर में वृक्ष न0 1 से 07 तक, मुकाम लोहारली निचली में वृक्ष न0 01-09 तक, मुकाम टटेहडा में वृक्ष न0 67, मुकाम कोईडी में वृक्ष न0 42 से 59 व मुकाम कुठेडा जसवालां में वृक्ष न0 10 से 47 तक की भूमि भूमि गैर मुमकिन सड़क मलकीयत सरकार हिमाचल प्रदेश कब्जा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग पाई गई है। मुकद्दमा हजा में चालान जेर धारा 379 IPC & 32, 33 IF ACT वरखिलाफ आरोपी रोहित जसवाल S/O नरेन्द्र जसवाल गांव व डाकघर डंगोह तह0 घनारी जिला ऊना हि0 प्र0 के तैयार करके दिनाक 10-01-2023 को पेश माननीय अदालत ACJM अम्ब किया जा चुका है। जो कि दिनाक 22-05-2023 को वा अदालत JMIC-III अम्ब में Consideration of Charge के लिए लगा था। तथा मुकद्दमा उपरोक्त दिनाक 21-08-23 को वा अदालत JMIC-III अम्ब में PROPER ORDER के लिए लगा है।

अतः स्टेटस रिपोर्ट बराये अवलोकनार्थ महोदय की सेवा में प्रेषित है।

प्रभारी
पुलिस थाना गगरेट
जिला ऊना हि0 प्र0